## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण कमांक 986–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 120/अपील/2006–07.

.............

अंकुर राठी आत्मज श्री जगदीश राठी,
निवासी ग्राम नूर नगर, तहसील उदयपुरा,
जिला रायसेन

......... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती साधना नीखरा पत्नी श्री नंदकिशोर नीखरा,
निवासी ग्राम नूरनगर,
हाल निवास 207 जयनगर जबलपुर ..........अनावेदिका

श्री ओ0पी0दुबे, अभिभाषक– आवेदक
श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदिका

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक: 21/8/12 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व स्वामित्व

की ग्राम नूरनगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 314 रकबा 5.00 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 316/1 रकबा 5.20 एकड़ है, उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सर्वे कमांक 314 रकबा 5.00 एकड़ में 0.58 एकड़ पर एवं सर्वे कमांक 316/1 रकबा 5.20 एकड़ में से 2.35 एकड़ पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 20–10–2005 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–06 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–3–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि वे उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन कराये तत्पश्चात् विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदिका द्वारा सीमांकन आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, अतः संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही में सीमांकन को चुनौती नहीं दी जा सकती है और ना ही सीमांकन की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है ।

(2) तहसीलदार द्वारा विधिवत् अनावेदिका को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

(3) सीमांकन उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत् प्रकिया अपनाकर तहसीलदार द्वारा किया गया है, जिसमें पंचनामा, नक्शा व फील्डबुक तैयार कर व सीमाएं समझाकर सीमांकन किया गया है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को नजरअंदाज कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) सीमाकंन कार्यवाही में अनावेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और सूचना पत्र उसके पति के नाम जहॉ वे शासकीय नौकरी करते है वहॉ भेजा गया है । इसके अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों को भी विधिवत् सूचना सीमांकन में नहीं दी गई है जो कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही नहीं है।

(2) तहसीलदार द्वारा किये गये अवैध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है जो कि विधि की दृष्टि से शून्य है, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का पैतृक समय से कब्जा चला आ रहा है अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी अतः तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(4) सीमांकन की कार्यवाही स्थायी सीमा चिन्हों आदि से नहीं की गई है, इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिवत् कार्यवाही की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1975 आरएन 175, 2010 आरएन 259, 2004 आरएन 100, 2005 आरएन 33 एवं 2006 आरएन 218 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन नहीं हुआ है । सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना दिया जाना भी अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा भी इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर मुनारे एवं सीमा चिन्ह नहीं मिलने के कारण सीमांकन किया जाना संभव नहीं है । अतः अवैध सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्ट करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी त्रुटि की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कराकर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर